T.I. प्र.सं. 85/2018

29/5/18 आज P.O.H.L. के छुट्टी पर होने से जनरल ता. ... गत आदेशों की पालना में दिनांक ... को पेश हो। 7/8/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

20-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकुन्दगढ़ में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण का मूल वाद विभाजन हेतु दिनांक ... से लम्बित है। मूल वाद लम्बित होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र आज्ञा निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण कैम्प मुकुन्दगढ़ में लम्बित है तथा वाद समझौता पंजीबद्ध लेख आधार है एवं मूल वाद के निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकुन्दगढ़ में निलम्बित नहीं सुनाया गया।

केवलराम मीणा

प्रार्थी

सहायक कलक्टर
टोडा

कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यालय टोडा जिला टोंक